श्री संतोष उराँव, सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की अध्यक्षता में दिनांक–10.08.2023 (गुरूवार) को समिति कार्यालय रांची में सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की 63वीं बैठक की कार्यवाही :–

1. **उपस्थिति** :– बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए :–

क्र०	नाम	कार्यकारिणी समिति में धारित पद	उपस्थिति
1.	श्री संतोष उराँव, पूर्ववर्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सभापति	उपस्थित
2.	श्री सुनील कुमार, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची।	सदस्य	उपस्थित
3.	श्री राजकिशोर खाखा, वित्त विभाग के प्रतिनिधि (वित्त सचिव द्वारा मनोनीत) सदस्य, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची।	सदस्य	उपस्थित
4.	डॉ. कामिनी कुमार, (राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद्), प्रति कुलपति, कोलहान विश्वविद्यालय, चाईबासा।	सदस्य	अनुपस्थित
5.	डॉ. उपेन्द्र प्रसाद, सेवा–निवृत्त, सह–शिक्षक, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य	Online उपस्थित
6.	डॉ. प्रसाद पासवान, प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य–सचिव	उपस्थित
7.	श्री अभिषेक मिश्रा, शिक्षक, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	(शिक्षक प्रतिनिधि)	उपस्थित

02. कार्यसूची की मद संख्या–01 : दिनांक–23.06.2023 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. की 62वीं (विशेष आकस्मिक) बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि की गई।

Santosh

03. कार्यसूची की मद संख्या –02 : दिनांक 23.06.2023 को सम्पन्न हुई (विशेष आकस्मिक) कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. की 62वीं बैठक में लिये गये निर्णयों के संदर्भ में प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. द्वारा कृत अनुपालन प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया गया; तदनुसार समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन को सर्वसम्मति के साथ सम्पुष्टि प्रदान की गयी।

04. कार्यसूची की मद संख्या–03 : सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार के कार्यालय पत्रांक–12 /यो.01–28/2023 (SO/04)–829, दिनांक–03.07.2023 एवं निदेशालीय पत्रांक–12/यो.1–28 /2013–21, दिनांक–07.07.2023 के माध्यम से नेतरहाट आवासीय विद्यालय/नेतरहाट विद्यालय समिति को गैर योजनान्तर्गत सहायता अनुदान सामान्य (वेतन एवं गैर–वेतन) मद में प्राप्त निम्नांकित राशि के आंतरिक मदवार विभाजन की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	मद का नाम	कोड	राशि (रू0)
1	2023–24	सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	46	रू. 5,83,65000.00
2	2023–24	सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन)	79	रू. 3,50,00000.00

05. कार्यसूची की मद संख्या–04 : विद्यालय में छात्रों के पोशाक, लेखन सामग्रीयों इत्यादि का क्रय सीडमनी मद के अधीन उपबंधित राशि में से किया जाता रहा है, परन्तु प्राचार्य सह–सदस्य सचिव द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष – 2023–24 के लिए सीडमनी मद के अधीन राशि प्रावधानित नहीं की गयी है; अतएव, सर्वसम्मती से सीडमनी मद से होने वाले व्ययों की प्रतिपूर्ति गैर–योजनान्तर्गत सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन) मद के प्रशासनिक व्यय उपमद से विकलित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

06. कार्यसूची की मद संख्या–05 : राज्य सरकार के कर्मियों को कुछेक असाध्य रोगों यथा–कैंसर, हृदय रोग, किडनी प्रत्यारोपण इत्यादि के लिए चिकित्सा व्ययों के प्रतिपूर्ति का प्रावधान सन्निहित है। विदित हो कि वर्तमान में नेतरहाट आवासीय विद्यालय में दो तरह के कर्मी कार्यरत हैं– यथा जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार के स्तर से की गई है एवं दूसरे, जिनकी नियुक्ति

Santosh

स्वायत्तशासी संस्था के गठनोपरांत नेतरहाट विद्यालय समिति के माध्यम से की गई। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त शिक्षकों एवं कर्मियों को राज्य मेडिकल बोर्ड के अनुशंसा पश्चात् प्रशासी विभाग के माध्यम से किया जाता है। इसी क्रम में श्री राम प्रताप प्रसाद, धातुकला प्रशिक्षक, जिनकी नियुक्ति नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा हुई है की पत्नी के हृदय वाल्व रिप्लेसमेंट पर हुए वास्तविक व्ययों के भुगतान हेतु तत्संबंधी अनुरोध पर विद्यालय पत्रांक-853, दिनांक-01.06.2022 के माध्यम से निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा को संप्रेषित की गई थी, जिसपर विभागीय पत्रांक-1905, दिनांक-13.07.2022 के द्वारा संसूचित किया गया कि चूँकि श्री प्रसाद की नियुक्ति नेतरहाट विद्यालय समिति के माध्यम से की गई है। अतएव, संबंधित प्रस्ताव प्रत्यक्ष रूप से राज्य कर्मी के नहीं होने के कारण अस्वीकृत किया जाता है। संबंधित विषयक विचार-विमर्श के क्रम में बैठक में उपस्थित निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं वित्त विभाग के प्रतिनिधि का सुझाव हुआ कि पुनः इस संदर्भ में एक प्रस्ताव विभाग को संचिका के माध्यम से प्रेषित की जाय, ताकि एतद-विषयक वित्त विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग से परामर्श प्राप्त किया जा सके तथा सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में ही अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। तत्काल संबंधित विषयक भुगतान की प्रक्रिया को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

07. कार्यसूची की मद संख्या-06 : शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अन्तर्वीक्षा की तिथि निर्धारण के संबंध में निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम स्क्रूटनी समिति द्वारा विषयवार Shortlisted अभ्यर्थियों की संख्या सभापति को उपलब्ध कराया जाय, तद्नुरूप सभापति के मुख्यालय में उपलब्धता के आधार पर अन्तर्विक्षा की तिथि निर्धारित की जाएगी एवं तत्पश्चात् अभ्यर्थियों को पत्र सम्प्रेषित करने की कारवाई सुनिश्चित की जाएगी। चयन समिति में विषय-विशेषज्ञ सदस्य के चयन हेतु सभापति को प्राधिकृत किया गया। सभापति गोपनीय रूप से संबंधित सदस्यों को अपने स्तर से संसूचन करेगें।

08. कार्यसूची की मद संख्या-07 : विद्यालय में सत्र के नियमितिकरण हेतु नये सत्र के प्रवेश परीक्षा के लिए विद्यालय पत्रांक-981, दिनांक-10.07.2023 के माध्यम से विज्ञप्ति प्रकाशित किया गया, तद्नुसार प्रकाशित विज्ञप्ति

Santosh

की घटनोत्तर संपुष्टि कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा प्रदान की गई।

09. कार्यसूची की मद संख्या–08 : नेतरहाट विद्यालय समिति नियमावली, सेवा शर्त्त में व्याप्त कतिपय टंकण एवं नीतिगत अशुद्धियों के निराकरण और नये प्रस्ताव लाने हेतु निर्णय लिया गया। सर्वप्रथम इस संबंध में एक समिति गठित कर संशोधित प्रारूप तैयार करवा लिया जाय एवं तैयार प्रारुप को कार्यकारिणी समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत कर इसे सरकार स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

10. कार्यसूची की मद संख्या–09 : विद्यालय अतिथिगृहों के फर्निचर एवं अन्य उपस्करों के जीर्ण–शीर्ण अवस्था को ध्यान में रखते हुए विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए Interior Decoration के तहत तत्संबंधी कार्य कराने की स्वीकृति प्रदान की गई। जिसका विकलन अतिथिगृह मद से किये जाने का निर्णय लिया गया।

11. कार्यसूची की मद संख्या–10 : विद्यालय के तृतीय वर्गीय कर्मियों (A, B, C, Block), पी.टी मंच में कतिपय लघु मरम्मती कार्य, बंगला संख्या–01 में कुछेक कार्य एवं विद्यालय परिसर के विभिन्न स्थानों में लघु मरम्मती कार्यो के प्रसंग में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल लातेहार से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। तद्नुसार अग्रेत्तर कारवाई हेतु प्राचार्य सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. को प्राधिकृत किया गया

12. कार्यसूची की मद संख्या–11 : प्राचार्य सह–सदस्य सचिव के द्वारा छात्रों में एकरूपता लाने हेतु कनीय छात्रों को नीला हाफ पैंट के स्थान पर नीला फुलपैंट लागू किये जाने संबंधी प्रस्ताव को तत्काल स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

13. कार्यसूची की मद संख्या–12 : वर्ष, 2015 में नेतरहाट आवासीय विद्यालय में संविदा के आधार पर चतुर्थ वर्गीय कर्मीयों यथा लैब पियन, दर्जी, माली, रसोईया, ड्रेसर इत्यादि पदों पर नियुक्ति की गई थी। नियुक्त सभी कर्मी

Santosh

स्थाई पदों के विरुद्ध नियुक्त है। इन कर्मियों की लंबी संविदावधि को ध्यान में रखते हुए इनके नियमितिकरण किए जाने संबंधी विचार-विमर्श के क्रम में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं वित्त विभाग के प्रतिनिधि का सह-मंतव्य रहा कि तत्काल 10 वर्षों की सेवा नहीं होने की स्थिति में एतद्-विषयक प्रस्ताव को स्थगित रखा जाय।

14. कार्यसूची की मद संख्या-13 : जेरेडा स्तर से विद्यालय परिसर में पूर्व से अधिष्ठापित सोलर पॉवर प्लांट जो वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण हो चुके है, को मरम्मती तथा जेरेडा स्तर से Free of cost सरकारी भवनों में लगाये जा रहे Solar power Plant के विद्यालय में अधिष्ठापित कराये जाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए अग्रेत्तर कारवाई हेतु प्राचार्य सह-सदस्य सचिव, ने.वि.स. को प्राधिकृत किया गया।

15. कार्यसूची की मद संख्या-14 : वर्तमान प्राचार्य आवास (बंगला संख्या-05) की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सम्प्रति आवास के आंशिक जीर्णोद्धार यथा-पुटी, पेंट इत्यादि कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही साथ प्राचार्य के वाहन रखने के लिए एक गैरेज एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के रहने हेतु एक Out House एवं दो शौचालय निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। तदनुरुप अग्रेतर कारवाई करने के लिए प्राचार्य सह-सदस्य सचिव, ने.वि. स. को प्राधिकृत किया गया।

16. कार्यसूची की मद संख्या-15 : तत्कालीन सामान्य निकाय, नेतरहाट विद्यालय समिति के निर्णयानुसार वाणिज्य विषय की पढ़ाई की शुरुवात करने के लिए तर्कशास्त्र के विषय को वाणिज्य विषय में प्रत्यार्पित करते हुए शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया था। सम्प्रति विद्यालय में वाणिज्य संकाय के एक भी छात्र नामांकित नहीं है; अतएव, तत्काल विज्ञापन संख्या-01/2021 के संदर्भ में प्रकाशित वाणिज्य विषय के शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को तत्काल स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

Santosh

17. कार्यसूची की मद संख्या–16 : विद्यालय हित एवं छात्र हित को ध्यान में रखते हुए रिक्त काष्टकला प्रशिक्षक कि नितांत आवश्यकता को देखते हुए अस्थाई रुप से अल्पावधि तक के लिए वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के सुसंगत परिपत्रों के आलोक में कार्य पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निदेश हुआ कि यह व्यवस्था बिल्कुल ही अस्थाई प्रकृति की होगी तथा इस बीच नेतरहाट विद्यालय के प्राचार्य किसी दैनिक कर्मी अथवा मानदेय पर कर्मी की नियुक्ति कर लेगें अथवा कार्यरत कर्मियों में से ही किसी कर्मी को प्रशिक्षित करते हुए स्थाई विकरण के तहत् नियोजित करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि नये लोगों को सीखने एवं कार्य करने का सुवसर प्राप्त हो सके।

18. कार्यसूची की मद संख्या–17 : सेवा–निवृत्त भोजन कुली श्री शनिया भगत को पुनः पुर्ननियोजित किए जाने संबंधी प्रस्ताव को तत्काल स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही श्री सीताराम ठाकुर जिनकी नियुक्ति वर्ष 2015 में संविदा के आधार पर लैब पियन के पद पर की गई थी (बिना कारण बताए श्री ठाकुर लगभग 3 वर्षो तक अपने कार्यो पर अनुपस्थित रहे) जिनकी सेवा पुनः बहाल किए जाने संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया।

19. कार्यसूची की मद संख्या–18 : वर्ष, 2013 में भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, लातेहार स्तर से विद्यालय के सभी आश्रमों, अष्टम आश्रमवर्ग एवं प्रेक्षागृह का नव–निर्माण/जीर्णोद्वार कार्य आरंभ हुआ था, के प्रसंग में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लातेहार को एकरानामा राशि में वृद्धि के फलस्वरूप बकाया शेष राशि रू. 3,36,05,140.00 (तीन करोड़ छत्तीस लाख पाँच हजार एक सौ चालीस मात्र) के भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही प्राचार्य सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. को निदेश हुआ की एतद् विषयक राशि की अधियाचना विभागीय स्तर से कर लेगें तथा आन्तरिक स्तर से कार्यान्यवित योजनाओं की जाँच भी करा लेगें।

20. कार्यसूची की मद संख्या–19 : विद्यालय के वेबसाइट www.netarhatvidyalaya.com के वार्षिक अनुरक्षण हेतु संबंधित सार्थ M/s computer. Ed, Ranchi की अवधि विस्तार उनके द्वारा समर्पित प्रस्ताव पत्र के

Santosh

आधार पर की गई। साथ ही विद्यालय में अधिष्ठापित सभी CCTV कैमरा, सभी आई.टी. उपकरण यथा कप्युटर, फोटोकॉपी मशीन, लैपटोप, प्रिन्टर इंटरनेट सेवा के वार्षिक अनुसरण हेतु एक विस्तृत निविदा प्रकाशित किए जाने का निर्णय लिया गया।

21. कार्यसूची की मद संख्या-20 : विद्यालय बंगला संख्या-01 एवं 02 के जीर्णोद्धार की स्वीकृति प्रदान की गई। तद्नुरूप प्राचार्य सह-सदस्य सचिव, ने. वि.स. को निदेश हुआ कि इस संबंध में एक विस्तृत प्राक्कलन बनवाकर प्राक्कलित राशि की अधियाचना विभागीय स्तर से कर लेगें एवं प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु इसे कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. की आगामी बैठक में विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत करने की कारवाई सुनिश्चित करेंगे।

22. कार्यसूची की मद संख्या-21 : पूर्व में तैयार एवं सत्यापित रोस्टर पंजी तद्नुसार वर्तमान रिक्त पदों के आधार पर समान वेतनमान एवं समान प्रकृति कार्य को एक संवर्गीय पद मानते हुए पुनः रोस्टर पंजी तैयार करवाए जाने का निर्णय लिया गया, एतदर्थ कार्यो को ससमय मूर्त रूप प्रदान करने हेतु प्राचार्य सह-सदस्य सचिव, ने.वि.स. को प्राधिकृत किया गया। प्राचार्य को यह भी निदेश हुआ कि रोस्टर पंजी तैयार करते समय सरकार के सभी अनुदेशों का गहणता से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

23. कार्यसूची की मद संख्या-22 : प्राचार्य सह-सदस्य सचिव, ने.वि.स. द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, लातेहार स्तर से विद्यालय के सभी कक्षा वर्गो, मुख्य भवन एवं कार्यालय परिसरों का जीर्णोद्धार कार्य किया जा रहा है, क्रियान्वित योजनाओं प्रसंग में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लातेहार द्वारा कार्यालय पत्रांक-877/अनु./लातेहार, दिनांक-21.06.2023 के माध्यम से आवश्यक राशि की माँग की गई है। संबंधित बिन्दुओं के विचार-विमर्श के क्रम में प्राचार्य को निर्देश हुआ कि भुगतान प्रणाली के संदर्भ में पुनः कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, लातेहार से प्रतिवेदन प्राप्त कर ली जाय एवं यथा नियमानुसार अग्रिम राशि विमुक्त करने की कारवाई सुनिश्चित की जाय।

Santosh

24. कार्यसूची की मद संख्या–23 : प्राचार्य द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि वर्ष 2012 में क्रय किए गए विद्यालय एवं समिति कार्यालय के प्रयोग हेतु दोनो स्कॉर्पियों जिसकी स्थिति अत्यंत जर्जर हो चुकी थी, को नियमानुसार मोटरयान निरीक्षक, लातेहार द्वारा अपलेखन की स्वीकृति प्रदान की गई है। तदोपरांत समिति कार्यालय एवं विद्यालय कार्यालय के प्रयोग हेतु दो नये वाहन के क्रय की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। समयक् विचारोपरान्त दो नये वाहन क्रय किए जाने का निर्णय लिया गया, इसके लिए प्राचार्य सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. को प्राधिकृत किया गया।

25. कार्यसूची की मद संख्या–24 : प्राचार्य पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित किया गया था, जिसपर कतिपय कारणवश नियुक्ति प्रक्रिया पुरी नहीं की जा सकी थी। चूँकि प्राचार्य पद पर नियुक्ति के लिए सभापति ही सक्षम प्राधिकार है, अतएव नियमित नियुक्ति प्रक्रिया के लिए सभापति को प्राधिकृत किया गया है। सभापति नियमानुसार इस संबंध में अग्रेतर कारवाई करेगें।

26. कार्यसूची की मद संख्या–25 : विद्यालय में रिक्त चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु प्राचार्य सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. को निदेश हुआ कि इस संबंध में एक प्रस्ताव प्रशासी विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को भेजना सुनिश्चित करेंगे साथ ही यह भी निर्देश हुआ कि प्रस्ताव में अगर सम्भव हो तो एक–दो चिकित्सा पदाधिकारी का नाम सुझाव देते हुए ही प्रस्ताव पत्र भेजने की कारवाई सुनिश्चित करेंगे ताकि ससमय प्रतिनियुक्ति हो सके।

27. कार्यसूची की मद संख्या–26 : सांतवे वेतन आयोग के द्वारा संशोधित वेतनमान में व्याप्त विसंगतियों के निराकरण हेतु बंचिंग पॉलिसी के तहत् अनुलाभ प्रदान किए जाने संबंधी विचार–विमर्श के क्रम में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं वित्त विभाग के प्रतिनिधि का यह सुझाव रहा कि इस संबंध में सम्प्रति वित्त विभाग के स्तर से कोई स्पष्ट निदेश प्राप्त नहीं है; अतएव भविष्य में प्राप्त निदेश के आलोक में इसके अनुसरण करने पर विचार किया जा सकेगा।

Santosh

अन्यान्य :-

28. कार्यसूची की मद संख्या-27 : (i) श्रीमती ममता कुमारी, कृषि प्रशिक्षिका के मानदेय वृद्धि के विचार-विमर्श के क्रम में प्राचार्य द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि श्रीमती ममता कुमारी को वर्ष-2015 में निर्धारित नियत मासिक मानदेय पर अस्थाई रूप से कार्य पर रखा गया था। कालक्रम में विद्यालय हित को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर इनकी सेवा विस्तारित की गई। पूर्व में इनका मानदेय रू. 31,755/- निर्धारित की गई थी। अतएव सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि श्रीमती ममता कुमारी की सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए वित्त विभाग के नियमानुसार ही मानदेय की राशि में वृद्धि की जा सकती है।

(ii) प्रशासी पदाधिकारी के आवास के घेराबन्दी पर समुचित निर्णय कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की आगामी बैठक में लिया जाएगा।

(iii) विद्यालय से सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों एवं कर्मियों को संविदा के आधार पर वित्त विभाग के प्रावधानानुसार पूर्व से सेवा लिये जा रहे तथा सेवा लिये जाने के प्रस्ताव को तत्काल स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

(iv) दिनांक-01.07.2023 को कार्यकारिणी समिति के सदस्य श्री प्रदीप कुमार ने कार्यकारिणी समिति के पद से त्याग पत्र हेतु अभ्यावेदन समर्पित किए थे। समर्पित अभ्यावेदन को सदस्यों के अवगतार्थ प्रस्तुत किया गया। तद्नुसार आवेदन प्राप्ति की तिथि से त्याग पत्र को सर्वसम्मति से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(v) नेतरहाट आवासीय विद्यालय एक स्वायत्तशासी संस्था है और यह संस्था State Autonomous Body के रूप में CRA-NSDL में निबंधित है, लेकिन नेतरहाट आवासीय विद्यालय के समिति स्तर से नियुक्त कर्मियों को CRA-NSDL के माध्यम से आवंटित PRAN NO राज्य के HRMS के तहत पंजीकृत नहीं है। अतः इस कारण इन कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना OPS से अच्छादित करने के निमित इसके चयन के विकल्प की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सर्वप्रथम HRMS के अंतर्गत पंजीकृत करवाते हुए GPF डायरेक्टरेट से GPF No आवंटित करने की अनुशंसा प्रदान की गई। साथ ही प्राचार्य सह-सदस्य सचिव, ने.वि.स. को निर्देश हुआ कि

Santosh

इस संबंध में संचिका के माध्यम से विस्तृत प्रस्ताव गठित करते हुए संचिका प्राशसी विभाग के माध्यम से सम्प्रेषित करने का कार्य सुनिश्चित करेंगे।

(vi) विद्यालय में सुरक्षात्मक दृष्ट्रिकोण को मद्देनजर रखते हुए आवश्यक तद्नुरुप आश्रमों एवं विद्यालय परिसर में तड़ीत चालक लगाने की स्वीकृति प्रदान की गई। एतदर्थ कार्यो के लिए प्राचार्य सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. को प्राधिकृत किया गया है।

(vii) विद्यालय में पाकशाला प्रभारियों के मानदेय को 5000.00 (पाँच हजार रूपया) मात्र मासिक किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(viii) विद्यालय परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया। इस हेतु प्राचार्य सह–सदस्य सचिव, ने..वि.स. को प्राधिकृत किया गया।

(ix) राज्य सरकार के कर्मियों की भाँति विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं कमिचारियों को मेडिक्लेम सुविधा प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

Santosh 17/8/2023

(श्री संतोष उराँव)
सभापति
कार्यकारिणी समिति
नेतरहाट विद्यालय समिति।

ज्ञापांक– 52/ने.वि.स./2023 रांची, दिनांक–17.08.2023

प्रतिलिपि– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, सदस्य, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति, झारखण्ड सरकार/ वित्त विभाग (वित्त विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य), सदस्य, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति, झारखण्ड सरकार/ प्रो. (डॉ.) कामिनी कुमार, (सेवा–निवृत्त), सदस्य, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति, 52, सर्कुलर रोड, लालपुर, रांची/ डॉ. उपेन्द्र प्रसाद, सह–शिक्षक, (सेवा–निवृत्त), नेतरहाट विद्यालय, सदस्य, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति/ प्राचार्य–सह सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Santosh 17/8/2023

सभापति
कार्यकारिणी समिति
नेतरहाट विद्यालय समिति।